

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-01-12/2025
प्रेषक,

10565 , पटना, दिनांक- 7.10.25

आदित्य प्रकाश
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया/मसौढ़ी एवं हथुआ।
विषय : मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष -00- लघुशीर्ष- 001- निदेशन एवं प्रशासन- उपशीर्ष- 0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के संविदा सेवायें इकाई मद में भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹ 17.55000 (सत्रह लाख पचपन हजार) लाख रु0 मात्र की राशि सारणी-1 के अनुसार कार्यालयों के नाम के सामने अंकित राशि के अनुरूप आवंटन प्रदान किया जाता है।

सारणी-1

क्र0सं0	ग्रा0 का0 वि0 के कार्यालय का नाम	अधियाचित राशि	आवंटित राशि	(सभी राशि लाख रु0 में) पत्रांक/दिनांक
1	2	3	4	5
1	कार्य प्रमंडल, गया	1.80000	1.80000	2425/20.08.2025
2	कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी	7.20000	7.20000	1351/09.09.2025
3	कार्य प्रमंडल, हथुआ	8.55000	8.55000	861/26.07.2025
	कुल	17.55000	17.55000	

- यह राशि मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष-00- लघुशीर्ष-001- निदेशन एवं प्रशासन- उपशीर्ष- 0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के अन्तर्गत 28 02 संविदा सेवायें ईकाई में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु उपबंधित राशि से विकलित होगी। जिसका विपत्र कोड सं0- 37-2515000010009 है।
- उक्त आवंटन से संविदा कर्मियों का वेतन का भुगतान, न्यायालय से अच्छादित मामले एवं बकाया का भुगतान नियमानुसार ही किया जाया निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित होना चाहेंगे कि बकाया आदि का भुगतान पूर्व में न की गयी हो।
- सारणी में अंकित राशि का आवंटन CFMS प्रणाली के माध्यम से किया गया है।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि0 (2) दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक-277/वि0 दिनांक 28.03.2025 एवं विभागीय स्वीकृतिपत्र सं0-4010 दिनांक-08.04.2025 में निहित निदेशों के आलोक में निर्गत किया गया है।

91

6. इस आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475 में दिए गए निदेश के आलोक में किया जाए। इसके साथ ही वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों/नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।

7. आवंटन प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का संचिका सं०-13/अ०प्र०-01-12/2025 के पृ०-30/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-12/2025 10585 /पटना,दिनांक- 7.10.25
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को निबंधित डाक से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-12/2025 10585 /पटना,दिनांक- 7.10.25
प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-12/2025 10585 /पटना,दिनांक- 7.10.25
प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ मा० मंत्री के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/संयुक्त सचिव, के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-12/2025 10585 /पटना,दिनांक- 7.10.25
प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, ग्रा०का०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के बेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

सरकार के अपर सचिव